<u>र</u>जिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-28072020-220717 SG-DL-E-28072020-220717

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]	दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 28, 2020/श्रावण 6, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 76
No. 140]	DELHI, TUESDAY, JULY 28, 2020/SRAVANA 6, 1942	[N.C.T.D. No. 76

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

foùk ¼jktLo&I¼ foHkkx

∨kn**g**k

दिल्ली, 27 जुलाई, 2020

fnYyh eky vk§ I ok dj ¼dfBukb²; ka nnj djuk½ vknæk] 2019

la 10@2019&jkT; dj

। åQk- 3¼19‰foÙk ¼jktLo&**I**‰2020&21@Mh, I & **IV**@36— दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् आने वाले इक्कतीस दिसंबर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

3320 DG/2020 (1)

और उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन में करदाताओं को कुछ तकनीकी किठनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालाविध के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और जिसके कारण उक्त धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कितपय किठनाईयां उत्पन्न हुई हैं।

अतः, अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर, कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :---

- 1. | f{k|r uke इस आदेश का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना, दसवां) आदेश, 2019 है ।
- 2. दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 के स्पष्टीकरण में, "31 दिसंबर, 2019" अंकों और शब्द के स्थान पर "31 जनवरी, 2020" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

jk"Vh; jkt/kkuh {ks= fnYyh ds mijkT; iky ds vkn**s**k ls rFkk muds uke ij]

सुनील सहगल, उप सचिव- IV(वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

ORDER

Delhi, the 27th July, 2020

THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2019 No. 10/2019-State Tax

No. F.3 (19)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/36.—WHEREAS, sub-section (1) of section 44 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year;

AND WHEREAS, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as referred to in sub-section (1) of section 44 of the said Act, certain technical problems are being faced by the taxpayers as a result whereof, the said annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (1) and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:—

- 1. Short title.—This Order may be called the Delhi Goods and Services Tax (Tenth Removal of Difficulties) Order, 2019.
- 2. In section 44 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, in the Explanation, for the figures, letters and word "31st December, 2019", the figures, letters and word "31st January, 2020" shall be substituted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SUNIL SEHGAL, Dy. Secry. IV (Finance)